कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह

TEL NO. : 07812-222345, 225157, 223231 FAX NO. : 07812- 223231
E-MAIL : deodamoh01@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

क्रमांक क/निर्वा./संक्षिप्त पुन./2016/253 दमोह दिनांक 23/08/2016

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं के नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में प्रदर्शित किये जाने है। आयोग के कार्यक्रम अनुसार जिले में दिनांक 15.09.2016 से 14.10.2016 तक दावें आपत्तियों व छूटे हुए पांत्र मतदाताओं के आवेदन संबंधित मतदान केन्द्रों पर प्राप्त किये जा रहे है। आयोग द्वारा जिले के समस्त चारो विधानसभा क्षेत्रों में फोटो निर्वाचक नामावली 2017 के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया गया है:–

स.क्र.	फोटो निर्वाचक नामावली 2017 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही का विवरण	अवधि
1	फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन	15 सितम्बर 2016
2	दावें एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	15 सितम्बर 2016(गुरूवार) से 14 अक्टूबर 2016 (शुक्रवार)
3	फोटो निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग/अनुभाग का ग्राम सभा/स्थानीय निकाय तथा रिजनल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों आदि में वाचन तथा नामों का सत्यापन	16 सितम्बर 2016(शुक्रवार) से 30 अक्टूबर 2016 (शुक्रवार)
4	दावे आपत्तियां प्राप्त करने हेतु राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट के साथ विशेष अभियान तिथियां	18 सितम्बर 2016 (रविवार) और 09 अक्टूबर 2016 (रविवार)
5	दावे आपत्तियों का निराकरण	16 नवम्बर 2016 (बुधवार)
6	डाटावेस को अपडेट करना फोटोग्राफ को समाहित करना,कन्ट्रोल टेबल को अपडेट करना तथा पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण	15 दिसम्बर 2016 (गुरूवार)
7	फोटो निर्वाचक नामावली 2017 का अंतिम प्रकाशन	05 जनवरी 2017 (गुरूवार)

डॉ0 श्रीनिवास शर्मा,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह ने आम जनता से अनुरोध किया है, कि जो 01.01.2017 को 18 वर्ष के हो रहे हैं वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने हेतु फार्म नं. –6 भरकर नाम जुड़वा सकते है। जिनके नाम पूर्व से ही सूची में है तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो वे भी नवीन स्थल पर नाम जुडवाने की कार्यवाही कर सकते है।

पुराने स्थान से नामं हटाने हेतु फार्म नं.–7 भरना होगा। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है इस प्रक्रिया में सभी जनता के साथ राजनैतिक दलों का भी सहयोग आवश्यक है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी,
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह

पृ.क्रमांक क/निर्वा./संक्षिप्त पुन./2016 दमोह दिनांक 23/08/2016

प्रतिलिपिः–

सहायक संचालक जिला जन संपर्क दमोह की ओर लेख है कि समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी,
हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी,दमोह